

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(डिकी मुकदमा इब्तादाई)

उनवान

1. श्योजी पुत्र लाला जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
2. किशनलाल पुत्र लाला जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
3. बद्री पुत्र लाला जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
4. किशनगोपाल पुत्र जगदीश जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
5. कजोड पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
6. केसरा पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
7. औंकार पुत्र अमरा जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
- 7/1. बन्नलाल पुत्र औंकार जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
- 7/2. बद्री पुत्र औंकार जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
- 7/3. रामदेवा पुत्र औंकार जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
- 7/4. झमरी, बेवा औंकार जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
- 7/5. बन्नी पुत्री औंकार जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
8. रामकिशन पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
9. मोत्या पुत्री कल्याण जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
10. लुसा पुत्री कल्याण जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
11. सोयर पुत्री कल्याण जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
12. रामधनी पुत्री कल्याण जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
13. सोसर बेवा कल्याण जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक

- वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
2. रामजीवन पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक
3. मुकेश पुत्र पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी खेडा तह0 उनियारा जिला टोंक


- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :- 37 वर्ष 2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 व हाजरी श्री पी0सी0जैन वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई ..... वकील मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 234 रकबा 0.08, 237 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील उनियारा मे किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 07 सन् 2015 को जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक

पत्रावली केरु दुर्गी वलीगण के वकील  
 उपस्थित/ प्रतिवादीगण अग्रपक्षी/ वलीगण  
 के वकील को सुना गया/ पत्रावली के  
 इस पर उपलब्ध दस्तावेजों का प्रयोग  
 किया गया/ नवल जमानती सितंबर 2064  
 से 2067 तक के गृह खेरा के बहाल  
 भूखे खण्ड  $\frac{234}{0-08}$ ,  $\frac{237}{0-05}$  वलीगण के  
 स्वतंत्रता के दान ~~प्रतिवादीगण~~ के विनांक  
 11-6-18 को जब तक भी प्रस्तुत किया है कि  
 वली के स्वतंत्रता भूखे खण्ड 234 व 237  
 के द्वारा कोई सम्बन्ध नहीं है जोला के  
 कवण भारत में बहाल वलीगण डिंडी के  
 जल के प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति  
 नहीं है बहाल बहाल वलीगण डिंडी किया  
 जलकर प्रतिवादीगण को दृष्टात् न के  
 लिये जारी है (न्यायी किने धारण के प्रकृत  
 किया जाता है कि ने वलीगण के स्वतंत्रता  
 के मन्त्रे भारत की द्वाराती खण्ड  $\frac{234}{0-08}$   
 $\frac{237}{0-05}$  ईसर वाले गृह खेरा वलीगण  
 प्रतिवादी के किने प्रकृत से परवलंदाजी  
 नहीं करे पत्रा डिंडी जारी है अहकाम  
 स्वकी अपना-2 बहाल को/ पत्रावली  
 के बहाल मुद्रा प्रकृत नवल के रूप है  
 तथा प्रकृत दाखिल है।

र